यूपी में हर चौथी सीट पर वोटों का गड़बड़झाला, ईवीएम में जितने वोट पड़े उससे अधिक या कम गिने गए

प्रेम कुमार

ईवीएम से चुनाव को लेकर आशंकाएं तो बहुत समय से उठ रही थीं, मगर चुनाव बाद यह आशंका मजबूत होती चली जा रही है। ऐसा राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की ओर से उपलब्ध आंकड़ों में फर्क के कारण होता दिख रहा है। ईवीएम में जितने वोट पड़े और जितने वोट ईवीएम से गिने गये, उनमें सामने आ रहे फर्क जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इस फर्क के मायने क्या हैं? क्यों चंद सीटों पर ऐसी हैरतअंगेज बातें हुई हैं? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? चुनाव आयोग ऐसे मामलों में क्या रुख रखने वाला है? राजनीतिक दल इस पर कैसी प्रतिक्रिया देने वाले हैं? ये तमाम सवाल ही आने वाले समय में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव की पवित्रतता को बचाए रखने का जवाब दे सकेंगे।

आलोच्य रपट में सिर्फ उत्तर प्रदेश पर गौर किया गया है। चुनाव आयोग ने वोटरों से वोटर टर्नआउट एप डाउनलोड करने को कहा था जिससे हर चरण में कितने वोट पड़े, इसकी जानकारी देश का हर नागरिक ले सकता था। आज की स्थिति में भी इस वोटर टर्नआउट एप पर सातवें चरण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जो 6 चरण के आंकड़े उपलब्ध हैं उन्हें देखकर जब सीटवार वेबसाइट में चुनाव नतीजों के आंकड़े से हम मिलान कर रहे हैं तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं।

पहले चरण में 11 अप्रैल को जिन सोटों पर उत्तर प्रदेश में वोट डाले गये उनकी संख्या 8 थी। इन 8 सीटों में से मेरठ और गौतमबुद्धनगर दो ऐसी सीटें रहीं जहां ईवीएम में जितने वोट पड़े, उससे अधिक की गिनती कर ली गयी। चौंकिए नहीं। आप नीचे टेबल पर नज़र डालें। मेरठ में 12 लाख 11 हज़ार 968 वोट ईवीएम में पड़े थे जैसा कि चुनाव आयोग का टर्न आउट ऐप बता रहा है। वहीं चुनाव आयोग की साइट के मुताबिक मेरठ लोकसभा सीट में ईवीएम में गिने गये वोटों की संख्या 12 लाख 12 हज़ार 76 है। यानी 108 वोटों का फर्क।

गौतमबुद्ध नगर में भी इसी तर्ज पर 13 लाख 89 हज़ार 602 वोट पड़े थे मगर गिनती के वक्त इसमें 13 लाख 89 हज़ार 655 वोट पाए गए। 53 वोट कैसे बढ़ गये, यह रहस्यमय है।

गौर करने वाली बात ये है कि बाकी सीटों पर बिल्कुल सही मिलान हो रहा है। यह बात साफ कर देना भी जरूरी है कि बैलेट पेपर के जरिए डाले गये वोटों की गिनती अलग से की गयी है और उसकी इन आंकड़ों के मिलान में कोई भूमिका नहीं है।

पहला चरण : डाले गये और गिने गये वोटों में अंतर

लोकसभा सीट	EVM में वोट	गिने गये वोट	वोट अंतर
मेरठ	1211968	1212076	108
गौतमबुद्धनगर	1389602	1389655	053

दूसरे चरण में भी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर ही मतदान हुआ था। इस चरण में केवल बुलन्दशहर की सीट ऐसी रही जहां डाले गये ईवीएम वोट और गिने गये ईवीएम वोट में फर्क देखा गया। यहां 11 लाख 18 हज़ार 187 वोट ईवीएम में डाले गये थे। जब गिनती हुई तो ईवीएम में 255 वोट अधिक गिने गये। कुल गिने गये वोटों की संख्या 11 लाख 18 हज़ार 442 रही।

दूसरा चरण : डाले गये और गिने गये वोटों में अंतर

लोकसभा सीट	EVM में वोट	गिने गये वोट	वोट अंतर
बुलन्दशहर	1118187	1118442	255

उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 10 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से तीन सीटें फिरोजाबाद, एटा और बदायूं ऐसी रहीं जहां ईवीएम में हुई वोटों की गिनती और ईवीएम में पड़े वोटों के बीच फर्क देखा गया। फिरोजाबाद में 10 लाख 72 हज़ार 361 वोट ईवीएम में पड़े। यह आंकड़ा चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट एप के मुताबिक है। जब वोटों की गिनती हुई तो ईवीएम

में 10 लाख 72 हज़ार 480 वोट पाए गये। यह आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सीटवार आंकड़ों के मुताबिक है। इस तरह फिरोजाबाद में 119 वोटों का फर्क देखने को मिला।

एटा में 9 लाख 97 हज़ार 677 वोट ईवीएम में पड़े और ईवीएम में ही गिने गये वोटों की संख्या 9 लाख 97 हज़ार 853 रही। यानी 176 वोट अधिक गिने गये।

बदायूं का उदाहरण इस मायने में अलग है कि यहां डाले गये वोट से गिने गये वोट कम रहे। हालांकि संख्या बहुत छोटी है महज 3. फिर भी प्रश्न आंकड़े का नहीं है, प्रश्न है कि जब ईवीएम हर तरह से दुरुस्त है, इसमें कोई छेड़छाड़ हैकिंग, स्वैपिंग जैसी बात नहीं हुई है तो आंकड़ों में फर्क कैसे पैदा हो सकता है। बदायूं में 10 लाख 79 हज़ार 101 वोट पड़े थे। यहां जब वोटों की गिनती हुई है तो ईवीएम में 10 लाख 79 हज़ार 98 वोट गिने गये।

तीसरा चरण : डाले गये और गिने गये वोटों में अंतर

लोकसभा सीट	EVM में वोट	गिने गये वोट	वोट अंतर
फिरोजाबाद	1072361	1072480	119
एटा	997677	997853	176
बदायूं	1079101	1079098	3

उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गये थे। इनमें से 4 लोकसभा सीटों पर ईवीएम में पड़े वोट और गिने गये वोटों में फर्क देखने को मिल रहा है।

कन्नौज में 11 लाख 37 हज़ार 254 वोट ईवीएम में पड़े, जबकि 11 लाख 37 हज़ार 100 वोट गिने गये। इस तरह 154 वोट कम गिने गये।

कानपुर में भी 1233 वोट कम गिने गये। यहां 8 लाख 39 हज़ार 486 वोट ईवीएम में पड़े। इनमें से 8 लाख 38 हज़ार 253 वोट ईवीएम में गिने गये।

अकबरपुर में 10 लाख 18 हज़ार 494 वोट ईवीएम में डाले गये थे। गिनती के समय ईवीएम में 10 लाख 19 हज़ार 142 वोट पाए गये। इस तरह 648 वोट गिनती के वक्त बढ़ गये।

जालौन में भी गिनती के वक्त 540 वोट बढ़ गये। यहां 11 लाख 26 हज़ार 243 वोट डाले गये थे। ईवीएम में जो वोट गिने गये उनकी संख्या 11 लाख 26 हज़ार 783 रही।

चौथा चरण : डाले गये और गिने गये वोटों में अंतर

लोकसभा सीट	EVM में वोट	गिने गये वोट	वोट अंतर
कन्नौज	1137254	1137100	154
कानपुर	839486	838253	1233
अकबरपुर	1018494	1019142	648
जालौन	1126243	1126783	540

पांचवें चरण में 14 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें रायबरेली समेत 3 सीटें ऐसी रहीं जहां ईवीएम में पड़े वोट और गिने गये वोटों में फर्क देखने को मिला।

मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर 12 लाख 63 हज़ार 936 वोट ईवीएम में पड़े। गिनती के वक्त इनमें से 554 वोट घट गये। 12 लाख 63 हज़ार 382 वोट ही ईवीएम में मिले। वोट घटने का यह मामला निश्चित रूप से संदिग्ध है और कई सवालों को जन्म देता है।

रायबरेली की प्रतिष्ठित सीट पर 519 वोटों का फर्क पड़ा। यहां 9 लाख 54 हज़ार 802 वोट ईवीएम में पड़े। गिनती के समय ईवीएम से निकले वोटों की संख्या 9 लाख 55 हज़ार 321 पायी गयी।

इसी तरह बाराबंकी में 11 लाख 54 हज़ार 484 वोट डाले गये। गिने गये वोटों की संख्या ईवीएममें रही 11 लाख 54 हज़ार 818. इस तरह 334 वोट अधिक गिन लिए गये।

पांचवां चरण : डाले गये और गिने गये वोटों में अंतर

लोकसभा सीट	EVM में वोट	गिने गये वोट	वोट अंतर
मोहनलालगंज	1263936	1263382	554
रायबरेली	954802	955321	519
बाराबंकी	1154484	1154818	334

छठे चरण में 12 मई को उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें फूलपुर, जौनपुर और मछली शहर में ईवीएम में पड़े वोट और गिनती के वक्त गिने गये वोटों का मिलान नहीं हो पा रहा है। फूलपुर की प्रतिष्ठित सीट पर 9 लाख 73 हज़ार 818 वोट डाले गये थे। गिनती के समय ईवीएम में 508 अधिक मिले। गिने गये वोटों की संख्या रही 9 लाख 74 हज़ार 326.

जौनपुर में 10 लाख 38 हज़ार 478 वोट ईवीएम में पड़े थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट वोटर टर्न आउट के अनुसार यह आंकड़ा है। जब गिनती हुई तो यह 10 लाख 38 हज़ार 560 पायी गयी। इस तरह से 82 वोटों की गिनती अधिक पायी गयी। मछलीशहर का आंकड़ा चौंकाने वाला है। यहां 10 लाख 27 हज़ार 484 वोट डाले गये। गिनती के समय यह संख्या 10 लाख 32 हज़ार 111 पायी गयी। इस तरह से 4 हज़ार 627 वोट का फर्क साफ तौर पर देखा गया। मछली शहर में बीजेपी ने बीएसपी पर महज 181 वोटों से जीत दर्ज की है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जितने वोट डाले गये उससे साढ़े चार हज़ार से अधिक वोटों का बढ़ जाना बहुत चौंकाने वाली बात है।

छठा चरण : डाले गये और गिने गये वोटों में अंतर

लोकसभा सीट	EVM में वोट	गिने गये वोट	वोट अंतर
फूलपुर	973818	974326	508
जौनपुर	1038478	1038560	82
मछलीशहर	1027484	1032111	4627

ईवीएम में पड़े वोट गिनते वक्त अधिक हो जाएं या कम, दोनों बात संदेह पैदा करती है। यह संदेह इसलिए अधिक है क्योंकि बाकी सीटों पर बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग हो रही है। 6 चरण में उत्तर प्रदेश की 67 सीटों पर हुए मतदान में अगर 16 पर ऐसे संदिग्ध परिणाम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर चौथी सीट पर मामला संदिग्ध है। क्या इसी तर्ज पर देश के बाकी हिस्सों में भी ईवीएम में पड़े वोट और गिने गये वोटों में फर्क है? अगर है, तो मामला बहुत बड़ा है। यहीं से ईवीएम के दुरुपयोग के सवाल, आशंकाएं और जांच सब कुछ शुरू की जा सकती है। 2019 के पूरे आम चुनाव पर ही सवाल पैदा हो गया है।

जलियांवाला की यादें ताजा कर देता है उत्तराखण्ड का तिलाड़ी कांड

मुनीष कुमार, स्वतंत्र पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता

जनज्वार। 30 मई, 1930 भारत के इतिहास का अविस्मरणीय दिन है। इस दिन उत्तराखंड के बड़कोट में स्थित तिलाड़ी के मैदान में अपने अधिकारों के लिए सभा कर रहे आंदोलनकारियों पर राजा नरेन्द्र देव की फौज ने गोलियां चलवईं। उत्तराखंड के इस जलियांवाला बाग कांड में 200 लोग शहीद हुए थे।

इन शहीदों का कसूर मात्र इतना था कि वह ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लागू किए गये वन अधिनियम 1927 के आने के बाद जनता के जंगलों से लकड़ी, घास व अपनी जरुरत की वस्तुएं लाए जाने व पशु चराने पर लगाए गये प्रतिबंधों के खिलाफ एक सभा कर रहे थे।

अंग्रेजों द्वारा जनता के जंगलों पर अधिकार व हक-हकूक खत्म किए जाने के खिलाफ उत्तराखंड की जंनता के संघर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। उत्तराखंड के इतिहासकार शेखर पाठक बताते हैं कि 1921 में जनता के सशक्त प्रतिरोध के कारण अंग्रेजी हुकूमत को 3 हजार वर्ग मील को संरक्षित वन की अधिसूचना रद्द कर उन्हें जनता को वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

जंगलों पर अधिकारों के संघर्ष ने जनता के बीच में स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को भी स्थापित किया। वन आंदोलनों ने जनता के बीच में राजशाही व ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जागृति पैदा की।

1927 के वन अधिनियम के आने के बाद टिहरी रियासत का राजा नरेन्द्र शाह ने जनता के जंगलों पर जाने पर पाबन्दियां लगानी शुरु कर दीं। जंगलों की मुनारबंदी करवा दी गयी। जनता के वनों में जाने पर लगे प्रतिबंधों के कारण जंगलों के कच्चे माल से चलने वाले कुटीर उद्योग ठप हो गये। जंगलों से लकड़ी, बांस, रिंगाल और बांगड़ आदि लाने पर प्रतिबंध लगा दिये गये। जंगलों में मवेशी चुगाने पर भी रोक लगा दी गयी। टिहरी रियासत की जनता राजा द्वारा थोपे गये विभीन्न प्रकार के टैक्सों से पहले से ही बेहद दुखी थी।

राजा ने जंगलों की सीमा विस्तार का कार्य शुरु करवाकर किसानों के गाय व पशु चराने के स्थल भी छीन लिए। दुखी किसानों की समस्या का जंगलात के अधिकारियों ने समाधान करने से इंकार कर दिया तथा कहा कि गाय बछियों के लिए सरकार किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाएगी, तुम इन्हें पहाड़ी से नीचे गिरा दो।

इसको लेकर जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत व उसकी दलाल राजशाही के खिलाफ रोष और भी बढ़ गया। जनता ने संगठित होकर अपनी पंचायत का गठन किया। कन्सेरु गांव के दयाराम, नगाण गांव के भून सिंह व हीरा

सिंह, बड़कोट के लुदर सिंह व जमन सिंह व दलपति, भन्साड़ी के दलेबु, चक्रगांव के धूम सिंह, खरादी के रामप्रसाद, खुमन्डी गांव के रामप्रसाद नौटियाल आदि के नेतृत्व में क्षेत्र की जनता संगठित होने लगी।

आंदोलन को दबाने के लिए राजा की सेना ने 20 मई, 1930 को 4 किसान नेता दयाराम, रुद्र सिंह, रामप्रसाद व जमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों को डीएफओ पदम दत्त रतूड़ी के साथ टिहरी भेज दिया गया।

अपने नेताओं की गिरफ्तारी की खबर सुनकर जनता का आक्रोशित होना स्वभाविक था। बड़ी संख्या में लोग अपने गिरफ्तार नेताओं के पास पहंच गये तथा गिरफ्तारी का विरोध करना शुरु कर दिया। डी.एफ.ओ पदमदत्त ने जनता पर फायरिंग कर दी, जिसमें दो किसान शहीद हो गये। डी.एफ.ओ पदमदत्त मौके से भाग गया।

इस घटना ने जनता के बीच आग में घी का काम किया। आक्रोशित लोगों ने एकत्र होकर शहीद किसानों की लाशों के साथ टिहरी रियासत का राजमहल घेर लिया। जनता के आक्रोश के आगे पुलिस ने गिरफ्तार किये चारों किसान नेता रिहा कर दिये।

अत्याचारों से तंग होकर आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने हेतु 30 मई, 1930 को तिलाड़ी के मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। अंग्रेजी हुकूमत व राजशाही ने आंदोलन के बर्बर दमन की तैयारी कर ली। राजा के सैनिकों ने सुबह से ही सभा स्थल को तीन तरफ से घेर लिया।

राजा के दीवान चक्रधर जुयाल ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग का आदेश दिया। सैनिकों ने मैदान को घेरकर 3 तरफ से गोलियां बरसानी शुरु कर दीं, जिसमें सैकडों लोग मारे गये। जान बचाने के लिए लोग पेड़ों पर चढ़ गये तथा यमुना की तेज धारा में कूद गये। इस दिन यमुना का जल शहीदों के रक्त से लाल हो गया।

राजा की फौज ने दमन चक्र को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र में घर-घर जाकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सभा में शामिल जिन्दा बचे लोगों में से 68 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियुक्तों को बाहर से वकील लाकर पैरवी करने की अनुमति तक नहीं दी गयी। सभी अभियुक्तों को एक वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजाएं सुनाई गयीं। आंदोलनकारियों पर जेल में भी अत्याचार जारी रहे, जिस कारण सजा काटने के दौरान 15 लोगों की जेल में ही मृत्यु हो गयी।

1947 में देश से अंग्रेजों के जाने के बाद भी टिहरी का अलग अस्तित्व बरकरार रहा। जनता के बीच में टिहरी रियासत के भारत में विलय को लेकर आंदोलन तेज हो गये। 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय कर दिया गया। 'आजाद' भारत में अत्याचारी राजा को गिरफ्तार कर जेल में डालने व उसकी सम्पत्ति जब्त करने की जगह उसका मान-मनोवल किया गया, जो कि आज तक जारी है।

'आजाद' भारत के शासकों ने भी औपनिवेशिक वन अधिनियम, 1927 को जस का तस बरकरार रखा। आज हमारे देश की मोदी सरकार अंग्रेजों के बनाए इस वन कानून 1927 में बदलाव कर, इससे भी ज्यादा दमनकारी कानून, वन अधिनियम, 2019 लाने की तैयारी में है।

इस प्रस्तावित कानून के बन जाने के बाद वन भूमि पर बसे 20 करोड़ वनवासियों व वनों पर निर्भर देश की आधी से भी अधिक आबादी का जीवन संकट में आ जाएगा। तिलाड़ी कांड के बारे में देश की सरकारों द्वारा जनता को बहुत कम बताया गया है। इसका एक बड़ा कारण यह रहा है कि 'आजाद' भारत के शासक भी अंगेजों द्वारा बनाए गये लूट के तंत्र को देश के पूंजीपति व धनी वर्ग के हित में बनाए रखना चाहते हैं।

वन अधिनियम 1927 के बारे में जनता को जानकारी तब मिली, जब यह कानून अंग्रेजों द्वारा लागू कर दिया गया था। नये दमनकारी कानून की जानकारी जनता को आज मिल चुकी है। ऐसे में नये दमनकारी वन कानून को अस्तित्व में लाए जाने से पूर्व ही जनता को सशक्त प्रतिरोध कर इसे पारित हाने से रोकना चाहिए।30 मई, 1930 का तिलाड़ी का ऐतिहासिक संघर्ष हम देशवासियों की गौरवशाली विरासत है। तिलाड़ी के शहीदों को शत-शत् नमन।